Annexure - B'

संख्या :- 429 /I(02)2020-06/01/2020

प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

No 3762 / MD/ C-8 Dt. 22/5/2020

मु० अभि० (वाणिज्य)

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–02

देहरादून : दिनांक : 21 मई, 2020

विषयः–उत्तराखण्ड राज्य में लॉकडाउन के दृष्टिगत विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत दरों यथा फिक्सड चार्ज, विलम्ब भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत स्थित विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को लॉकडाउन के दृष्टिगत विद्युत दरों में रियायत प्रदान किये जाने विषयक उच्च स्तर पर लिये गये निर्णय निम्नवत हैः–

(क) होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे जैसी व्यवसायिक संस्थाओं को विद्युत बिल के फिक्सड चार्ज में छूट प्रदान किया जानाः–

उत्तराखण्ड राज्य में होटलों हेतु अनुमानित 3600 विद्युत कनेक्शन तथा रेस्टोरेंट, ढाबों आदि हेतु लगभग 20000 विद्युत कनेक्शन संयोजित है इस प्रकार कुल 23600 विद्युत कनेक्शन निर्गत किये गये है। होटलों हेतु निर्गत 3600 विद्युत कनेक्शन पर फिक्स्ड चार्ज में छूट दिये जाने पर एक माह में लगभग रू0 1.48 करोड़ तथा रेस्टोरेंट ढाबों आदि हेतु 20000 विद्युत कनेक्शन में लगभग रू0 0.51 करोड़ इस प्रकार एक माह में निगम को लगभग रू0 1.99 करोड़ अथवा रू0 2 करोड़ की धनराशि का व्ययभार आयेगा। उक्त रियायत माह अप्रैल, 2020 से जून, 2020 तक निर्गत विद्युत बिलों पर (03 महीनें) दिये जाने पर वित्तीय व्ययभार लगभग रू0 06.00 करोड़ की धनराशि की प्रतिपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है।

(ख) निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को विलम्ब भुगतान अधिभार में छूट प्रदान किया जानाः–

किसानों के निजी नलकूप संयोजनों के विरूद्ध रू0 156 करोड़ की बकाया राशि लम्बित है। इस सम्बन्ध में प्रस्तावित है कि 30.06.2020 तक विद्युत बिलों का भुगतान करने वाले किसानों को विलम्ब भुगतान अधिभार में पूर्ण छूट प्रदान कर दी जाये। उक्त के क्रम में वित्तीय व्ययभार लगभग रू0 3.64 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। इससे राज्य के लगभग 20,000 किसानों को लाभ होगा।

(ग) औद्योगिक एवं वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं (होटल रेस्टोरेन्ट ढाबे जैसी व्यावसायिक संस्थाओं को छोड़ते हुए) के फिक्स/डिमान्ड चार्ज का (विलम्ब अधिभार की देयता से मुक्त करते हुए) स्थगन :–

औद्योगिक तथा वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को मार्च 2020 से मई 2020 में की गई विद्युत खपत के सापेक्ष फिक्सड/डिमाण्ड चार्ज की वसूली स्थगित रखी जाये तथा इस धनराशि की वसूली माह जुलाई 2020 से अक्टूबर 2020 की अवधि में 04 समान मासिक किश्तों में कर ली जाये। ऐसा करने पर उपभोक्ताओं को इस मद में विलम्ब भुगतान अधिभार की देयता से मुक्त रखा जाये। लेकिन उपभोक्ता यदि चाहें तो फिक्सड/डिमाण्ड चार्ज का भुगतान बिल में अंकित देय तिथि तक कर सकते हैं। उक्त के क्रम में वित्तीय व्ययभार लगभग रू0 8 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी प्रस्तावित है। उपलब्ध कराई जानी है। इससे 2,46,400 उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत बिन्दु–क, ख एवं ग में अंकित धनराशि की प्रतिपूर्ति मुख्य मंत्री राहत कोष से की जायेगी। अतः उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधिका झा)
सचिव

संख्या :– /I(02)2020-06/01/2020 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:–

1. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव

Annexure - E'

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: [redacted] Website: [redacted]

पत्रांक 1333 /यूपीसीएल/आर.एम./एन–55 दिनांक 22–05–2020

कार्यालय ज्ञाप

कोरोना वायरस (कोविड–19) की रोकथाम के लिये राज्य में लगाये गये लॉकडाउन के कारण पर्यटन व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधियों तथा उपभोक्ताओं की मांग / कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये आदेशित किया जाता है कि होटल, रेस्टोरेन्ट तथा ढाबों जैसे व्यवसायिक उपभोक्ताओं को मार्च, 2020 से मई, 2020 की अवधि में की गयी विद्युत खपत के सापेक्ष माह अप्रैल, 2020 से जून, 2020 की अवधि में निर्गत विद्युत बिलों के फिक्सड चार्ज में पूर्ण छूट प्रदान की जायेगी। इन आदेशों के प्रभावी होने पर यूपीसीएल के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3372/प्र0नि0/ उपाकालि/ओएम, दिनांक 01–05–2020 द्वारा फिक्सड चार्ज के स्थगन सम्बन्धी आदेशों को होटल, रेस्टोरेन्ट तथा ढाबों जैसे व्यवसायिक उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में निर्गमन की तिथि से निष्प्रभावी किया जाता है।

(बी.सी.के. मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 1333 /यूपीसीएल/आर.एम./एन–55 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (परियोजना/परिचालन/वित्त/मा0स0), यूपीसीएल।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), यूपीसीएल।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण/सू0प्रौ0), यूपीसीएल।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण), यूपीसीएल।

(बी.सी.के. मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कारवाली रोड, देहरादून–248001, दूरभाष: 91–135–2768895 फैक्स: 91–135–2768867
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001. Phone: 91-135-2768895 Fax: 91-135 -2768867

Annexure - 'D'

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: md@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक: /प्र0नि0/उपाकालि/CM दिनांक: 01/05/2020

कार्यालय ज्ञाप

कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम के लिये राज्य में लगाये गये लॉकडाउन के कारण वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं की माँग/कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए आदेशित किया जाता है कि औद्योगिक (RTS-5) तथा वाणिज्यिक श्रेणी (RTS-2) के उपभोक्ताओं को मार्च 2020 से मई 2020 में की गई विद्युत खपत के सापेक्ष निर्गत विद्युत बिलों में फिक्सड/डिमाण्ड चार्ज की वसूली स्थगित रखते हुए इस धनराशि की वसूली माह जुलाई 2020 से अक्टूबर 2020 की अवधि में 04 समान मासिक किश्तों में की जायेगी। ऐसा करने पर उपभोक्ताओं को इस मद में विलम्ब भुगतान अधिभार की देयता से मुक्त रखा जायेगा। लेकिन उपभोक्ता यदि चाहें तो फिक्सड/डिमाण्ड चार्ज का भुगतान बिल में अंकित देय तिथि तक कर सकते हैं। यदि इन श्रेणियों के उपभोक्ता अपने वर्तमान विद्युत देयों का भुगतान ऑनलाइन अथवा डिजिटल माध्यम से फिक्सड चार्ज की धनराशि को छोडकर करते हैं तो उन्हें यूपीसीएल के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3361/प्र0नि0/उपाकालि/ओ0एम0 दिनांक 30 अप्रैल, 2020 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार भुगतान की गई धनराशि पर 1 प्रतिशत की छूट (एच0टी0 उपभोक्ताओं के लिये अधिकतम रू0 01 लाख तथा एल0टी0 उपभोक्ताओं के लिये अधिकतम रू0 10,000) भी अनुमन्य होगी।

(बी0सी0के0 मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 3372 /निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नवत् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (परियोजना/परिचालन/वित्त/मा0सं0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उपाकालि.....।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, (वितरण/सू0 प्रौ0), उपाकालि.....।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उपाकालि .....।

(बी0सी0के0 मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून-248001, दूरभाष: 91-135-2768895 फैक्स: 91-135-2768867
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001. Phone: 91-135-2768895 Fax: 91-135 -2768867

Annexure – 'E'

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: md@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांकः 3371/प्र0नि0/उपाकालि/OM दिनांकः 01.05.2020

कार्यालय ज्ञाप

निजी नलकूप श्रेणी (दर सूचीः RTS-4) के उपभोक्ताओं पर लम्बित विद्युत देयों की वसूली हेतु यह आदेशित किया जाता है कि इस श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा अपने लम्बित विद्युत देयों की मूल धनराशि का पूर्ण भुगतान 30.06.2020 तक करने पर उन्हें विलम्ब भुगतान अधिभार में शत–प्रतिशत छूट अनुमन्य की जायेगी। समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व होगा कि वे निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस योजना से अवगत करायें तथा योजना के परिणामों की सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर 07–07–2020 तक मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:

1. योजना का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं की संख्याः
2. योजना के अन्तर्गत विद्युत देयों की प्राप्त मूल धनराशिः
3. योजना के अन्तर्गत विलम्ब भुगतान अधिभार की माफ की गई धनराशिः

यह आदेश 14–04–2020 से प्रवत्त माने जायेंगे।

(बी0सी0के0 मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः /निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नवत् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (परियोजना/परिचालन/वित्त/मा0सं0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उपाकालि.............................।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, (वितरण/सू0 प्रौ0), उपाकालि.............................।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उपाकालि ....।

(बी0सी0के0 मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाषः 91–135–2768895 फैक्सः 91–135–2768867
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001. Phone: 91-135-2768895 Fax: 91-135-2768867

Annexure - F'

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2015GC025867

Email ID: md@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक: 3391 /प्र0नि0/उपाकालि/OM दिनांक: 02/05/2020

कार्यालय ज्ञाप

यूपीसीएल के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3361/प्र0नि0/उपाकालि/ओ0एम0 दिनांक 30.04.2020 को लागू करने में आ रही तकनीकी कठिनाई के कारण निर्गमन की तिथि से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

"कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम के लिये राज्य में लगाये गये लॉकडाउन के कारण उपभोक्ताओं की माँग/कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए आदेशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड राज्य के सभी श्रेणियों के जो उपभोक्ता अपने विद्युत बिलों का भुगतान ऑनलाइन अथवा डिजिटल माध्यम से बिल में अंकित अन्तिम देय तिथि (अन्तिम देय तिथि + ग्रेस अवधि) तक करते हैं, उन्हें इन बिलों में अंकित वर्तमान विद्युत देयों की भुगतान की गई राशि (इलैक्ट्रिसीटी ड्यूटी तथा ग्रीन इनर्जी सेस को छोडकर) का 01 प्रतिशत (एच0टी0 उपभोक्ताओं के लिये अधिकतम रू0 01 लाख तथा एल0टी0 उपभोक्ताओं के लिये अधिकतम रू0 10,000) छूट अगले बिल में समायोजन के माध्यम से अनुमन्य की जायेगी। जिन उपभोक्ताओं को फिक्सड चार्ज में स्थगन की सुविधा अनुमन्य की गई है, ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा सम्बन्धित अवधि में फिक्सड चार्ज को छोडकर किये गये भुगतान की धनराशि पर उपरोक्तानुसार छूट अनुमन्य होगी। नकद, चैक तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक को छोडकर अन्य सभी माध्यमों द्वारा किया गया भुगतान डिजिटल माध्यम से किया गया भुगतान माना जायेगा।

यह आदेश दिनांक 01.04.2020 से लागू होंगे।"

(बी0सी0के0 मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 3391 /निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नवत् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (परियोजना/परिचालन/वित्त/मा0सं0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उपाकालि.....।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, (वितरण/सू0 प्रौ0), उपाकालि.....।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उपाकालि .....।

(बी0सी0के0 मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून-248001, दूरभाष: 91-135-2768895 फैक्स: 91-135-2768867
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001. Phone: 91-135-2768895 Fax: 91-135-2768867

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: md@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक: 3361 /प्र0नि0/उपाकालि/ CM दिनांक: 30/04/2020

कार्यालय ज्ञाप

कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम के लिये राज्य में लगाये गये लॉकडाउन के कारण उपभोक्ताओं की माँग/कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए आदेशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड राज्य के सभी श्रेणियों के जो उपभोक्ता अपने विद्युत बिलों का भुगतान ऑनलाइन अथवा डिजिटल माध्यम से बिल में अंकित अन्तिम देय तिथि (अन्तिम देय तिथि + ग्रेस अवधि) तक करते हैं, उन्हें इन बिलों में अंकित वर्तमान विद्युत देयों की भुगतान की गई राशि (इलैक्ट्रिसीटी ड्यूटी तथा ग्रीन इनर्जी सेस को छोडकर) का 01 प्रतिशत (एच0टी0 उपभोक्ताओं के लिये अधिकतम रू0 01 लाख तथा एल0टी0 उपभोक्ताओं के लिये अधिकतम रू0 10,000) छूट अनुमन्य की जायेगी। जिन उपभोक्ताओं को फिक्सड चार्ज में स्थगन की सुविधा अनुमन्य की गई है, ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा सम्बन्धित अवधि में फिक्सड चार्ज को छोडकर किये गये भुगतान की धनराशि पर उपरोक्तानुसार छूट अनुमन्य होगी। नकद, चैक तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक को छोडकर अन्य सभी माध्यमों द्वारा किया गया भुगतान डिजिटल माध्यम से किया गया भुगतान माना जायेगा। जो उपभोक्ता UPCL कि वेससाइट www.upcl.org पर उपलब्ध डिजिटल माध्यम से भुगतान करेंगे, उन्हें भुगतान करते समय ही छूट अनुमन्य की जायेगी। इसके अतिरिक्त जो उपभोक्ता अन्य डिजिटल माध्यमों से बिल का भुगतान करते हैं, उन्हें अगले बिल में छूट अनुमन्य की जायेगी।

यह आदेश दिनांक 01.04.2020 से लागू होंगे।

(बी0सी0के0 मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: /निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नवत् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (परियोजना/परिचालन/वित्त/मा0सं0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उपाकालि.....।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, (वितरण/सू0 प्रौ0), उपाकालि.....।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उपाकालि .....।

(बी0सी0के0 मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून-248001, दूरभाष: 91-135-2768895 फैक्स: 91-135-2768867
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001, Phone: 91-135-2768895 Fax: 91-135 -2768867

Annexure -G'

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: md@upcl.org Website: www.upcl.org

पत्रांक 1393 / यूपीसीएल / आर.एम. / एन–55 दिनांक 2-06–2020

सचिव,
ऊर्जा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

विषयः उत्तराखण्ड राज्य में स्थित धर्मशालाओं को लॉकडाउन के कारण अप्रैल, 2020 से जून, 2020 की अवधि के फिक्सड चार्जेज में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचनीय है कि राज्य में स्थित धर्मशालाओं के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया है कि कोविड–19 की रोकथाम के लिये लगाये गये लॉकडाउन के कारण मार्च, 2020 के दूसरे सप्ताह से ही उत्तराखण्ड राज्य में स्थित धर्मशालाओं में पर्यटकों/यात्रियों की आवाजाही लगभग शून्य रही है जिसके परिणामस्वरुप इन धर्मशालाओं को पर्यटकों / यात्रियों से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी है। उन्होनें यह भी अवगत कराया कि धर्मशालाओं में जो पर्यटक / यात्री आकर ठहरते हैं वे अपनी इच्छानुसार धर्मशालाओं को दान स्वरुप कुछ धनराशि देकर जाते हैं जिससे धर्मशालाओं को अपने सामान्य तथा प्रशानिक खर्चे यथा बिजली का बिल, पानी का बिल, नगर निगम टैक्स तथा कर्मचारियों का वेतन आदि को वहन करने में सहायता मिलती है तथा यह धनराशि प्राप्त न होने के कारण उन्हें यह खर्च वहन करने में कठिनाई / परेशानी आ रही है। धर्मशालाओं के प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गयी कि लॉकडाउन के कारण उन्हें निर्गत विद्युत बिलों के फिक्सड चार्ज में पूर्ण छूट प्रदान की जाये। इस सम्बन्ध में आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी से दूरभाष पर हुई वार्ता तथा इस वार्ता के कम में अधोहस्ताक्षरकर्ता की आपसे हुई वार्ता के कम में उत्तराखण्ड राज्य में स्थित धर्मशालाओं के विद्युत उपभोक्ताओं को मार्च, 2020 से मई, 2020 की अवधि में की गयी विद्युत खपत के सापेक्ष माह अप्रैल, 2020 से जून, 2020 की अवधि में निर्गत विद्युत बिलों के फिक्सड चार्ज में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित हैः

1. राज्य में धर्मशालाओं की संख्या लगभग 300 है जिन्हें निर्गत विद्युत संयोजनों पर रु0 8 लाख के मासिक फिक्सड चार्ज की बिलिंग की जाती है। तीन माह की अवधि के लिये इन उपभोक्ताओं द्वारा लगभग रु0 24 लाख फिक्सड चार्जेज मद में देय होते है।

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाषः 91–135–2768895 फैक्सः 91–135–2768867
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001. Phone: 91-135-2768895 Fax: 91-135 -2768867

2. इस प्रकार यदि राज्य में स्थित धर्मशालाओं को मार्च, 2020 से मई, 2020 की अवधि में की गयी विद्युत खपत के सापेक्ष माह अप्रैल, 2020 से जून, 2020 की अवधि में निर्गत विद्युत बिलों के फिक्सड चार्ज में छूट प्रदान करने पर रु0 24 लाख का वित्तीय भार आयेगा।

3. इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 429/I(02) 2020-06/01/2020, दिनांक 21–05–2020 के अनुपालन में यूपीसीएल द्वारा होटल, रेस्टोरेन्ट तथा ढाबों जैसे व्यवसायिक उपभोक्ताओं को मार्च, 2020 से मई, 2020 की अवधि में की गयी विद्युत खपत के सापेक्ष माह अप्रैल, 2020 से जून, 2020 की अवधि में निर्गत विद्युत बिलों में पूर्ण छूट प्रदान करने सम्बन्धी आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त होटल, रेस्टोरेन्ट तथा ढाबों जैसे व्यवसायिक उपभोक्ताओं को छोडकर अन्य वाणिज्यिक तथा औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को मार्च, 2020 से मई, 2020 की अवधि में की गयी विद्युत खपत के सापेक्ष निर्गत विद्युत बिलों में फिक्सड / डिमांड चार्ज की वसूली स्थगित रखते हुये इस धनराशि की वसूली माह जुलाई, 2020 से अक्टूबर, 2020 की अवधि में चार समान मासिक किश्तों में करने के आदेश लागू किये गये है। ऐसा करने पर उपभोक्ताओं को इस मद में विलम्ब भुगतान अधिभार की देयता से भी मुक्त रखा गया है।

अनुरोध है कि मार्च, 2020 से मई, 2020 की अवधि में की गयी विद्युत खपत के सापेक्ष माह अप्रैल, 2020 से जून, 2020 की अवधि में धर्मशालाओं को निर्गत विद्युत बिलों में पूर्ण छूट प्रदान करने पर आने वाला उपरोक्त वित्तीय भार रु0 24 लाख राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

आदर सहित,

भवदीय,

(बी.सी.के मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाष: 91–135–2768895 फैक्स: 91–135–2768867
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001. Phone: 91-135-2768895 Fax: 91-135 -2768867

Annexure - II'

सत्यमेव जयते

No.11/16/2020-Th-II
Government of India
Ministry of Power
***

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi dated the 10th June, 2020

To,

Shri. Umakant Pawar
Principal Secretary (Energy)
4 Subhash Road,
Government of Uttarakhand,
Dehradun, Uttarakhand,

Sub: Deferment of Capacity charges/Rebate to Distribution Companies (DISCOMS) by Central Generating and Transmission Companies of Ministry of Power for the lockdown period on account of COVID-19 pandemic.

Sir,

Reference is invited to our letter of even number dated 16.05.2020 enclosing therein advisory issued on 15.05.2020 on the subject mentioned above wherein it was conveyed that all Central Public Sector Generation Companies under Ministry of Power including their JV/Subsidiaries and Central Public Sector Transmission Company will offer deferment of capacity charges for power not scheduled and rebate to the DISCOMs on power billed (fixed cost) and inter-state transmission charges for passing on to the end consumers for the lockdown period on account of Covid-19 pandemic.

2. The details of rebate as offered by various Central Public Sector Generation & Transmission Companies under Ministry of Power to the State of Uttarakhand as per aforementioned advisory are mentioned here as under:

S. No.	CPSU under Ministry of Power	Rebate by CPSU (amount in crores)
1.	NHPC Limited	6.75
2.	NTPC Limited*	13.10
3.	PGCIL	14.48
4.	THDC Limited	1.91
5.	SJVNL	3.18
Total		39.42

*Amount by NTPC to UPCL = 13.1 Crores.

-21-

3. In this regard, in continuation of the earlier advisory of Ministry of Power (MoP)dated 16.05.2020, you are hereby requested to furnish a detailed statement alongwith timeline indicating how the State Govt shall be actually passing on the benefits of this special rebate to the end consumers. The information may please be mailed at anoopsingh.bisht@nic.in.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Anoop Singh Bisht)
Under Secretary to the Government of India
Tele: 011-23719710